



उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पो००५० – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–२४४७१५

फोन नं०: (०५९४७)-२५२२७६, २५४२७५, फैक्स नं० : (०५९४७)-२५५०२१, २५२२७६

email : secy-ubse-uk@nic.in वेबसाइट : www.ubse.uk.gov.in

प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20

शासनादेश संख्या : 433/XXIV(1)/2019-02/2018 शिक्षा अनुभाग—। (बेसिक) देहरादून, दिनांक 16 अगस्त 2019 एवं शासनादेश संख्या : 1028/XXIV(1)/2019-02/2018 शिक्षा अनुभाग—। (बेसिक) देहरादून, दिनांक 21 अक्टूबर 2019 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20 का आयोजन किया जा रहा है।

1. पूरित आवेदन—पत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 04 फरवरी 2020, साय 05:00 बजे तक।
2. प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम :

क्र०सं०	कार्यक्रम	समय / अवधि
1	प्रस्तावित परीक्षा की तिथि	30 March 2020
2	परीक्षा कक्ष में प्रवेश	9:00 AM
3	प्रवेश—पत्र की जाँच	09:00 AM to 09:30 AM
4	ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक वितरण	09:30 AM
5	परीक्षा प्रारम्भ	10:00 AM
6	परीक्षा समाप्त	12:30 PM

3. आवेदन पत्र बिक्री हेतु उपलब्ध : दिनांक 7 जनवरी 2020 से 03 फरवरी 2020 तक, राज्य में स्थित निम्नांकित डाकघरों में—

क्र०सं०	जनपद का नाम	डाकघर का नाम (जहाँ से आवेदन—पत्र क्रय किए जा सकते हैं)
1	हरिद्वार	हरिद्वार (H.P.O), रुड़की
2	देहरादून	देहरादून (G.P.O), विकासनगर, ऋषिकेश, चक्राता
3	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, बड़कोट
4	ठिहरी	नई ठिहरी (H.P.O), नरेन्द्रनगर
5	पौड़ी	पौड़ी (H.P.O), श्रीनगर, कोटद्वार (H.P.O), धुमाकोट, बैजरौ
6	चमोली	गोपेश्वर (H.P.O), जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली
7	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि
8	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ (H.P.O), डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग, गंगोलीहाट
9	चम्पावत	चम्पावत, टनकपुर, लोहाघाट
10	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा (H.P.O), रानीखेत, भिकियासैंण
11	बागेश्वर	बागेश्वर, बैजनाथ (गरुड़)
12	नैनीताल	नैनीताल (H.P.O), हल्द्वानी (H.P.O), रामनगर, भीमताल
13	ऊधम सिंह नगर	रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, जसपुर

4. अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश—पत्र परिषद् की वेबसाइट पर जारी करने की तिथि : मार्च 2020, तृतीय सप्ताह।
5. आवेदन करने की विधि : आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर निर्धारित डाकघरों से निर्धारित अवधि तक प्राप्त किये जा सकते हैं। अभ्यर्थन की श्रेणी के लिये निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। पूरित आवेदन पत्र (OMR शीट) परिषद्

कार्यालय में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 04 फरवरी 2020, सायं 5:00 बजे तक है। निर्धारित तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र आवेदन पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार प्रेषित करें कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि/समय के अन्तर्गत परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो सकें।

6. परीक्षा शुल्क (आवेदन—पत्र क्रम के रूप में) : निम्नानुसार निर्धारित है—

क्र० सं०	ब्रेणी	आवेदन पत्र का मूल्य/शुल्क	ओ०ए०आ०आ०आ० आवेदन पत्र क्रमांक
1	सामान्य/अन्य पिछङ्गा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	₹ 500.00	5 लाख की सीरीज में
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	₹ 250.00	2 लाख की सीरीज में
3	सभी वर्ग के निःशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिये	₹ 125.00	1 लाख की सीरीज में

7. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएँ :

(क). उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 के द्वारा संशोधित नियम 4 उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अद्वैसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अद्वैशासकीय संस्था में नियमित पद पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पद पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थाई निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री समूह "ग" के आवेदन हेतु पात्र होंगे।" के अनुसार अभ्यर्थी दो वर्षीय ₹०१०००००० प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख). प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा केन्द्र : अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय ₹०१०००००० प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु उसके विकल्पों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जानी होगी। किन्तु आवेदन पत्र में प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को ही दी जानी होगी।

परीक्षा राज्य के 13 जनपदों में बने निम्नांकित 29 परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहरों के नाम एवं कोड निम्नवत् हैं—

परीक्षा शहर का नाम	परीक्षा शहर कोड
हरिद्वार	01
रुड़की	02
देहरादून	03
ऋषिकेश	04
उत्तरकाशी	05
बड़कोट	06
नई टिहरी	07
नरेन्द्र नगर	08
पौड़ी	09

परीक्षा शहर का नाम	परीक्षा शहर कोड
पिथौरागढ़	16
बेरीनाग	17
डीडीहाट	18
चम्पावत	19
टनकपुर	20
अल्मोड़ा	21
रानीखेत	22
बागेश्वर	23
गरुड़	24

श्रीनगर	10
कोटद्वार	11
गोपेश्वर	12
कर्णप्रयाग	13
रुद्रप्रयाग	14
अगस्त्यमुनि	15

नैनीताल	25
हल्द्वानी	26
रामनगर	27
रुद्रपुर	28
काशीपुर	29

(ग). उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली – 2019 में नियम – 9 (क) (एक) में विज्ञान वर्ग में 40 प्रतिशत भौतिक, गणित विषय से विज्ञान स्नातक एवं 40 प्रतिशत रसायन विज्ञान, जन्तु, वनस्पति विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक तथा 20 प्रतिशत ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों, जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार मानविकी वर्ग में 15 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा, 15 प्रतिशत हिन्दी भाषा एवं 70 प्रतिशत अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों हेतु निर्धारित किये गये हैं।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान वर्ग एवं विज्ञानेतर वर्ग में निर्धारित किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

अभ्यर्थी द्वारा दो वर्षीय डीएलएड० प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञाप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व उक्तानुसार भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।

(घ). आयु सीमा : अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात् 01 जुलाई 2020 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1990 से पूर्व एवं 01 जुलाई 2001 के बाद की न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य द्वारा निर्धारित नियमानुसार देय होगा।

(ङ). आरक्षण : कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास अवश्य धारित होना चाहिए।

(च). उपलब्ध स्थानों (सीटों) की संख्या : विज्ञान एवं विज्ञानेतर वर्ग में आवंटित सीटों में विषयों का विभाजन उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित नियमावली) के नियम 9 उप नियम (क) (एक) में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञान एवं विज्ञानेतर विषयों के अन्तर्गत विषयवार किये गये विभाजन के अनुसार किया जायेगा। वर्ग/उप वर्गवार उपलब्ध स्थानों (सीटों) का विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	वर्ग	कुल उपलब्ध स्थान (सीटें)	उपवर्ग	कुल उपलब्ध स्थान (सीटें)
1	विज्ञान वर्ग	325	भौतिक एवं गणित विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 40 प्रतिशत
			रसायन विज्ञान, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 40 प्रतिशत
			उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 20 प्रतिशत
2	विज्ञानेतर वर्ग	325	अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	विज्ञानेतर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 15 प्रतिशत
			न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत सहित, हिन्दी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	विज्ञानेतर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 15 प्रतिशत
			अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारी	विज्ञानेतर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 70 प्रतिशत

(छ). डी०एल०एड० प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क विवरण : दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण स्व वित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष हेतु ₹० ३५०००/- (ऐतीस हजार मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर ₹० ८५०/- (आठ सौ पचास मात्र) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज). दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

8. चयन का आधार : दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी का चयन केवल उसकी स्नातक शैक्षिक योग्यता के आधार पर ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में चयनित उपवर्ग में उपलब्ध स्थानों पर किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपनी स्नातक योग्यताके अनुसार अनिवार्य रूप से उपवर्ग का चयन करें।

9. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी : परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र परिषद की अधिकृत वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM/UTET लिंक पर उपलब्ध कराये जायेंगे। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। जिसे आवेदनपत्र (OMR) क्रमांक अथवा अभ्यर्थी अपने नाम एवं जन्मतिथि अंकित कर डाउनलोड करेंगे। डाक द्वारा प्रवेश-पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

10. परीक्षा कक्ष में प्रवेश : परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी को केवल परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड), नीला/काला बॉलपेन एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र (जो कि परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित किया होगा) ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद किसी भी दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वेबसाइट से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट स्पष्ट न हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। फोटो पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जा सकता है।

अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य कैलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवायस, मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री, पेपर, आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जायेगा। परीक्षा में नकल करने अथवा नकल कराने में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन : दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिलाचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है।

उत्तर पुस्तिका के रूप में ओ०एम०आर० सीट का प्रयोग किया जायेगा। किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा। प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा में मुद्रित किये जायेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

12. परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति : परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से एक ही उत्तर सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक (One) अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने अथवा ब्रूटिपूर्ण ढंग से उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किया जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित

नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जाएंगे।

13. **दावा/आपत्ति का निराकरण :** परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा मॉडल उत्तर परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा/आपत्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करना होगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग—अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अथवा बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर निराकरण किया जाता है। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर मॉडल उत्तर में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर उत्तर—पत्रक का मूल्यांकन किया जाता है। परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।
14. **परीक्षा परिणाम :** परिषद् द्वारा परीक्षा हेतु जारी शासनादेशों के क्रम में परीक्षाफल घोषित किया जाता है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची परिषद् की वेबसाइट पर जारी की जायेगी।
15. **पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :** OMR उत्तरशीट का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः उत्तरशीट की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. **क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :** दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी बाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।
17. **हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :** परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे के बीच फोन नं०: (05947)-252276, 254275 पर प्राप्त की जा सकती है।
 - email : deled2015@gmail.com or secy-ubse-uk@nic.in
 - वेबसाइट : www.ubse.uk.gov.in
18. **अभ्यर्थियों के लिए अन्य आवश्यक निर्देश :**
 - i. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह दो वर्षीय डी०एल०एड० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वह आवेदन करें।
 - ii. आवेदन करने से पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें। एक बार आवेदन पत्र भरने के पश्चात् कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - iii. अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी/क्षैतिज श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, विषय, अर्हता कोड एवं अन्य अधिमानों की सही जानकारी आवेदन पत्र में यथोचित स्थान पर दें। आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी या गलत आरक्षण श्रेणी/क्षैतिज श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, विषय, आवेदित वर्ग आदि लिखने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और ऐसी स्थिति में उसका अभ्यर्थन/परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
 - iv. डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा अपनी स्नातक योग्यता के अनुसार चयनित उपवर्ग के लिये ही किया जायेगा। केवल एक उपवर्ग का चयन करें। चयनित उपवर्ग से भिन्न किसी अन्य उपवर्ग में चयन हेतु विचार नहीं किय जायेगा।

- v. विज्ञप्ति की तिथि के पूर्व अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं आरक्षण सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् अर्जित शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताओं एवं आरक्षण संबंधी अर्हता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- vi. उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके द्वारा ०००५००५० आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों के आधार पर समिलित कराया जायेगा तथा उनका अभ्यर्थन नितान्त औपचारिक है। काउन्सिलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी। ०००५००५० आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- vii. अभ्यर्थी अपनी ०००५००५० आवेदन पत्र संख्या/अनुक्रमांक अपने पास सुरक्षित रखें तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा संस्था से किये जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
- viii. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र रखयं भरना होगा। आवेदक नवीनतम फोटो अपलोड करें एवं हस्ताक्षर, के नमूने सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के होने चाहिये।
- ix. दो वर्षीय ०५०५०५० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।
- x. परिषद के साथ पत्र-व्यवहार हेतु पता निम्नवत है –

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
(डी०५०५०५० परीक्षा अनुभाग),
प००५०० रामनगर (नैनीताल),
पिन : २४४७१५

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
समन्वय संस्था (नैनीताल)।

1. परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20 सूचना विवरणिका (Two Year DEIEd Entrance Exam 2019-20 : INFORMATION BROCHURE) में दिये गये हैं, जो निर्धारित मूल्य का भुगतान कर OMR आवेदन पत्र सहित चयनित डाकघरों से प्राप्त की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह दो वर्षीय ०५०५०५० (DEIEd) प्रशिक्षण हेतु अयोजित प्रवेश परीक्षा 2019–20 हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र क्रय कर आवेदन करें।
3. एक बार क्रय कर लिया गया आवेदन पत्र किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और न ही परीक्षा शुल्क (आवेदनपत्र के मूल्य के रूप में देय) वापस होगा।